



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2026

श्रावण 29, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग—1

संख्या 265/49-1-2026

लखनऊ, 20 अगस्त, 2026

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-464

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1981) की धारा 2 के खण्ड (घ) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषित करते हैं कि:-

1-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बलरामपुर (कार्य क्षेत्र-जिला बलरामपुर और गोंडा), (रजिस्ट्रीकरण संख्या यूपीसीआर0001729 दिनांक 20 दिसम्बर, 2025) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बलरामपुर में स्थित है, पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1981 के प्रयोजनों के लिए, सरकारी गजट में इस आदेश के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर और गोंडा जिलों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक होगा।

2-यह घोषणा अग्रेतर आदेशों तक प्रवृत्त रहेगी।

आज्ञा से,

अजय कुमार शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 265 /XLIX-1–2026, dated August 20, 2026 :

No. 265 /XLIX-1–2026

Dated Lucknow, August 20, 2026

IN exercise of the powers under proviso to Clause (d) of Section 2 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Act no. 61 of 1981), the Governor is pleased to declare that,—

1. Balrampur District Cooperative Bank Limited, Balrampur (Area of Operation District Balrampur and Gonda) (Registration no. UPCR0001729 dated December 20, 2025) registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966), having its registered office at Balrampur shall be the Central Co-operative Bank for districts Balrampur and Gonda of the State of Uttar Pradesh, for the purposes of the aforesaid Act of 1981, with effect from the date of publication of this order in the Official *Gazette*.

2. This declaration shall remain in force until further orders.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Pramukh Sachiv.